न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या

34/2021

बाबूलाल गुनसारिया पुत्र स्व0 श्री ग्यारसी लाल रैगर पूर्व कारागृह सदस्य निवासी अदालत परषिद टोंक राज0

--अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार टोंक

--प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 09–12–2021**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिमकारी एंव तहसीलदार टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 17–8–2021 को प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न सूचना चाही गई थी :–

1 खसरा नम्बर 6205 गैर मुमकिन पाल पर जनवरी 2015 से अगस्त 2021 तक की अवधि में किन–किन लोगों ने अतिक्रमण कर रखे है, उनके नाम व पते उपलब्ध करावे।

2 किन–किन व्यक्तियों के विरूद्व बेदखली की हार्यवाही की गयी, सम्पूर्ण पत्रावलियों सहित सत्यापित प्रतिलिपि उपलब्ध करावें।

3 गैर मुमकिन पाल 6205 पर किन–किन अतिक्रमियों के विरूद्व धारा 91 में नोटिस जारी किये गये, उनका सम्पूर्ण विवरण उपलब्ध कराया जावें।

4 गैर मुमकिन पाल 6205 की वास्तविक एवं भौगोंलिक स्थिति की मौका पर्चा रिपोर्ट तैयार करवायी जाकर उपलब्ध करवायी जावे।

5 खसरा नम्बर 6205 कस्बी शर्की टोंक की वर्तमान खसरा गिरदावरी की सत्यापित नकल उपलब्ध करायी जावें चाही गई सूचना 3–3 सेट में उपलब्ध करायी जावे।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोंक को पत्र क्रिमांक 1277 दिनांक 14–10–2021 से प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। जवाब प्राप्त नहीं होने पर पत्र क्रमांक 1300 दिनांक 29–10–2021 [illegible] अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित [illegible] लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोंक द्वारा आदिनांक [illegible] कराने के संबंध में कोई जवाब नही भिजवाया [illegible] जिससे स्पष्ट [illegible] आवेदक को वांछित सूचना उपलब्ध नही करवाई गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 15:58:38 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)
सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर
टोंक

सूचना का अधिकार अधिकार अधिनियम 2005 में सूचना उपलब्ध कराने की अवधि 30 दिवस निर्धारित की हुई है। अतः अपीलार्थी उनके द्वारा आवेदित सूचना प्राप्त करने का अधिकारी है।

फलतः अपील स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोंक को निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलार्थी को उनके द्वारा आवेदित सूचना निर्णय की प्रति प्राप्ति से 20 दिवस में निःशुल्क उपलब्ध करावें। अपीलार्थी को सूचित किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

(चिन्मयी गोपाल)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर
सत्यमेव जयते
टोंक (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 15:58:38 IST
Reason: SelfAttested